

फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री जगाराम पिता श्री जवाना राम नि. बासड़ाई पो. लाखागुडा तहसील भीम जिला राजसमंद

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. कलक्टर, राजसमंद

म मुकदमा-अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 20/2022

क्र	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक 19.04.2022</p> <p>पत्रावली पेश हुई । अपीलांत अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी-अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी-अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये क्रमांक: एफ.1()सू.अ.,05/2022/342-343 दिनांक 14 मार्च, 2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उप पंजियक, सहकार भवन 100 फिट रोड कर भवन के पास, राजसमंद की होने से मूल ही प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(i)(ii) के तहत संबंधित विभाग को ऑन लाईन दिनांक 07.01.2022 को अंतरण करते हुए जरिये पत्रांक: एफ.1()सू.अ., 05/2020/46-47 दिनांक 10.01.2022 से प्रेषित करते हुए प्रार्थी को सूचित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी-अतिरिक्त कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी-अतिरिक्त कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट अनुसार अपीलांत द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना उप पंजियक, सहकार भवन 100 फिट रोड कर भवन के पास, राजसमंद की होने से मूल ही प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(i)(ii) के तहत संबंधित विभाग को ऑन लाईन</p>	



दिनांक 07.01.2022 को अंतरण करते हुए जरिये पत्रांक: एफ.1()सू.अ.
.05/2020/46-47 दिनांक 10.01.2022 से प्रेषित करते हुए प्रार्थी को
सूचित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील इसी स्टेज पर
निर्णय की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना
अधिकारी-अतिरिक्त कलक्टर, राजसमंद को भिजवायी जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की
जाकर दाखिल दफ़्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी

(जिला कलक्टर) राजसमंद



प्रथम

अधिकार

न अपील

कलक्टर

दिल्ली

दिल्ली प्रान्त

के कलक्टर

रजसमंद

की गई सू

के लिये आव

की

की

गाम

न द्वारा घोषि

री के अनुसार

दिया दिखाने

का

/2/22